भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. 81
मंगलवार, 02 फरवरी, 2021 को उत्तर के लए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहन"

81. श्री जयंत सन्हा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) सरकार द्वारा भावी ऊर्जा अवस्थांतरण हेतु ल क्षत नई प्रौद्यो ग कयों और नवाचार को अपनाने के लए भारतीय वद्युत उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) घरेलू बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्तमान बाजार हिस्सा कतना है; और

(ग) क्या सरकार ने अगले दशक में अंतरित होने वाले ऐसे बाजार हिस्से में हो सकने वाले परिवर्तन का वश्लेषण करने के लए कोई अध्ययन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) : भारत सरकार देश में वद्युत मोबि लटी को बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवीज) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबि लटी मशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 के तहत भारत में (हाइब्रिड और) वद्युत वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं वनिर्माण योजना (फेम इं डया) को मार्च, 2015 में शुरु की गई थी। योजना के प्रथम चरण को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया था। वर्तमान में, फेम इं डया योजना के चरण-।। को 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्ष की अव ध के लये लागू कया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के वद्युतीकरण को सहायता पर बल दिया जा रहा है और इसका उद्देश्य लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहियों को सब सडी के माध्यम से बढ़ावा देना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं की रेंज सम्बन्धी चंता के समाधान के लये चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दिया गया है।

साथ ही, देश में उपभोक्ताओं के बीच वद्युत वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लये भारत सरकार ने निम्न ल खत कदम भी उठायें हैं:-

(i) वद्युत वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वद्युत वाहनों के लए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से 5% कर दिया गया है।

(ii) वद्युत मंत्रालय ने वद्युत वाहनों की चार्जिंग के लए 'सेवा' के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में आकर्षक निवेश के लए एक बड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

(iii) सरकार ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के एस.ओ. 5333 (ई) के तहत बैटरी-चा लत यातायात वाहनों और ईथानोल और मेथानोल से चलने वाले यातायात वाहनों को पर मट की आवश्यकता से छूट दी है।

(iv) वर्ष 2019-20 के बजट में माननीय वत्त मंत्री ने वद्युत वाहनों की खरीद के लए प्राप्त ऋण पर देय ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट उपलब्ध कराने के प्रावधान की घोषणा की।

(v) वद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लये, भारत सरकार ने वाहनों को हाइब्रिड वद्युत प्रणाली अथवा वद्युत कट के रेट्रो फटमेंट के लये अ धसू चत कया है और वद्युत हाइब्रिड वाहनों की अनुमोदन प्र क्रया के प्रकार को निर्दिष्ट कया है।

(vi) भारत सरकार ने अ धसू चत कया है क बैटरी-चा लत वाहनों के लये पंजीकरण मार्क हरे रंग की पृष्ठभू म वाली प्लेट पर होना चाहिये।

(vii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 4.0 कलोवाट तक के गयरलैस ई-स्कूटरों बाइकों को 16-18 वर्ष की आयु वालों को लाइसेंस प्रदान करने के लये कुछ वनिर्देशों को अ धसू चत कया है।

(viii) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने स्वदेशी रूप से वक सत ल थयम आयन बैटरी प्रौद्यो गकी का वा णज्यीकरण कया है और प्रौद्यो गकी के हस्तांतरण हेतु 14 कम्पनियों का चयन कया है।

(ix) तत्काल पूँजीगत लागत का भुगतान करने की बजाए, परिचालन व्यय (प्रति कलोमीटर आधारित) पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तौर पर शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लये वद्युत बसों के परिचालन को आरम्भ करने हेतु नीति आयोग ने आदर्श रियायती समझौता (एमसीए) दस्तावेज प्रदान करने की पहल की है।

(x) निजी और वा णज्यिक भवनों में वद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने के लये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय वकास योजना नियमन और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन कया है।

(ख) : एसआईएएम से प्राप्त सूचना के अनुसार, वत्त वर्ष 2019-20 में देश में 207.2 लाख आईसीई वाहनों की तुलना में वद्युत वाहनों के पंजीकरण की संख्या लगभग 1.7 लाख अर्थात 0.8% रही है।

(ग): एसआईएएम से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2030 तक 40% वाहनों के वद्युतीकरण की उम्मीद है।

*****